रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2003/माघ 29, 1924
No. 77] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2003/MAGHA 29, 1924

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2003

सा०का०नि० 112(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 191

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2003

राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 36, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 41 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 40 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करते हैं :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2003 है।
2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
3. ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा 2000-05 की अवधि के लिए सिफारिश किए गए स्थानीय निकाय (पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकाय) अनुदानों को उत्तरवर्ती राज्यों में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के आपेक्षिक अनुपात के आधार पर निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है :—

क्र० सं०	राज्य	निम्नलिखित में राज्य का अंश	
		पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुदान	शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान
		(रुपये करोड़ में)	
1.	बिहार	543.75	67.07
2.	झारखण्ड	241.29	26.83
3.	मध्य प्रदेश	505.47	127.40
4.	छत्तीसगढ़	210.00	28.61
5.	उत्तर प्रदेश	1167.13	227.89
6.	उत्तरांचल	152.00	23.74

4. इन अनुदानों की रकम का पांचवां भाग प्रत्येक वर्ष राज्यों को स्थानीय निकायों के अनुदानों के उपयोजन के लिए वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों में विहित अनुबंधों के अनुसार लेखागत आधार पर निर्मुक्त किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्मुक्त की गई रकमें वित्तीय वर्ष के अन्त में राष्ट्रपतीय आदेश जारी करके नियमित की जाएंगी।

5. किसी विशिष्ट वर्ष के लिए उपयोग न किए गए अनुदान को अगले वर्ष के लिए अग्रनीत किया जा सकेगा और वह अनुदान जिसका उपयोग नहीं किया गया है, राज्यों के राजवित्तीय सुधार कार्यक्रम के अधीन 2004-05 के दौरान प्रोत्साहन निधि में जमा किया जाएगा।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति"

[फा. सं०19(1)/2003-वि. I.]
सुभाष सी. जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2003

G.S.R. 112(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"C.O.191

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 2003

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, read with section 36 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 of 2000), section 41 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (29 of 2000) and section 40 of the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), the President hereby makes the following Order :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2003.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. The Local Bodies (Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies) grants recommended by Eleventh Finance Commission for the period 2000-05 have been divided on the basis of the relative proportion of rural and urban local bodies in the successor States as follows :—

Sl. No.	State	Share of the State in	
		Grants for Panchayati Raj Institutions	Grants for Urban Local Bodies
		(Rupees in Crores)	
1.	Bihar	543.75	67.07
2.	Jharkhand	241.29	26.83
3.	Madhya Pradesh	505.47	127.40
4.	Chhattisgarh	210.00	28.61
5.	Uttar Pradesh	1167.13	227.89
6.	Uttaranchal	152.00	23.74

4. One fifth of amount of these grants shall be released to the States each year on an "on account" basis in accordance with the stipulations prescribed in the guidelines for utilisation of local bodies grants issued by the Ministry of Finance and Company Affairs. The amounts released during each year shall be regularised through the issue of Presidential Order at the end of the financial year.

5. The unutilised grant for a particular year may be carried forward to next year and the grant which remains unutilised will be credited to the Incentive Fund during 2004-05 under the States' Fiscal Reforms Programme.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President"

[F. No. 19 (1)/2003-L. I.]

SUBHASH C. JAIN, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.